कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश

सतपुडा भवन, भोपाल
E-mail- pccfmp@mpforest.org

क्रमांक / वन्यप्राणी / STSF / 2016 / 384 भोपाल, दिनांक 01/07/2016

प्रति

मुख्य वन संरक्षक एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी
सागर, रीवा, जबलपुर, होशंगाबाद एवं इन्दौर
मध्यप्रदेश

विषय – टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ अमले को अन्य कार्यो मे संलग्न न किये जाने बावत।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय वन विभाग वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक/एफ 15–36/2007/10–2 भोपाल, दिनांक 12/12/2008।

---00---

उपरोक्त संदर्भित विषयातगंत में लेख है कि शासन के द्वारा टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाईया का गठन, वन्यप्राणी अपराध संबंधी अवैध गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिये जिसमें मुखबीर सूचना तंत्र का विकास, आदतन अपराधियो पर नजर, क्षेत्रीय अमले को वन्यप्राणी अपराध अनवेषण में सहायता करना तथा पुलिस, केन्द्रीय वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो व अन्य संबंधित संस्थाओ से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये समन्वय करना है। इस हेतु उसमें इच्छुक एवं युवा वनाधिकारियों की नियुक्ति करते हुये उन्हें 15प्रतिशत विशेष मानदेय दिये जाने का प्रावधान शासन द्वारा रखा गया है परंतु आप लोगो के द्वारा इसमे रूचि नही लिये जाने के कारण इन इकाईयो द्वारा शासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यो की पूर्ति करने की दिशा म संतुष्टि पूर्वक कार्य नही किये जा रहे है। प्राय यह देखा जा रहा है कि नियंत्रणकर्ता अधिकारी की हैसियत से आप लोगों के द्वारा इन इकाईया में निम्नतर या इस कार्य हेतु अयोग्य अमले को पदस्थ किया जा रहा है तथा मुख्यालय द्वारा किसी उचित व्यक्ति की पदस्थिति की जाती है तो उसे अतिरिक्त प्रभार के रूप मे अन्य कार्यालयीन कार्य मे संलग्न कर दिया जाता है जो कि खेद जनक एवं वरिष्ठ कार्यालयो की अवहेलना प्रतीत होता है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यो को ध्यान में रखते हुये तत्काल टाइगर स्ट्राइक फोर्स में पदस्थ अमले को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करेगें तथा इसमें इच्छुक एव संदर्भित आदेश में उल्लेखित आयु अनुसार योग्य अमले की पदस्थिति करेगें तथा भविष्य में इन इकाई मे पदस्थ अमले (वनरक्षक से सहायक वन संरक्षक तक) को वन्यप्राणी मुख्यालय से लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी अन्य कार्यालयीन कार्य में संलग्न नही करेगें। इन निर्देशो का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेगें।

(अनिमेष शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.

क्रमांक / वन्यप्राणी / STSF / 2016 / 385 भोपाल, दिनांक 01/07/2016

प्रतिलिपि :–

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2 समस्त प्रभारी, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर, सतना, इटारसी, जबलपुर एवं इन्दौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश भोपाल